निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 25 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता,प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण वभाग,देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता,प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण वभाग,देहरादून के माह 06/2016 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री राजेश कुमार सन्हा सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी, एवं श्री सत्यवीर संह,लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18/7/2017 से 28/07/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री गो वंद संह एवं श्री मनोज कुमार नेगी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 21/06/2016 से 02/07/2016 तक श्री नीरज च्रंगु, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2015 से 05/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण वभाग देहरादून के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य व सम्पूर्ण ऊखीमठ ब्लॉक एवं अगस्त्यमुनी ब्लॉक का आं शक क्षेत्र

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
								स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	5054	--	-	5301.68	5300.89						

	3054					1628.37	1424.86				
	8443					708.45	708.45				
2015-16	5054	--	-	3464.61	3464.57						
	3054	-	-	-	-	1206.54	1205.50				
	8443	-		-	-	468.58	329.75				
2016-17	5054	-		2426.90	2426.76						
	3054	-		178.48	178.49	511.63	511.66				
	2059	-		-	-	8.08	8.00				
	8443	-	-	-	-	1327.09	1327.00				
2017-18 (6/17 तक)	5054			590.96	469.01						
	3054					150.00	143.30				
	8443					35.35	35.37				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(ii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष,लोक निर्माण वभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अ भयन्ता(स्तर-1),लोक निर्माण वभाग,

अधीक्षण अ भयन्ता 9वां वृत, देहरादून

अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण वभाग,देहरादून

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता,प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण वभाग,देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक

जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता,प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण वभाग,देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। लंबीधार-कमाड़ी - देहरादून के कमी 12 से 22 में BM/SDBC, crush barrier आदि का कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में खण्ड निरीक्षण नहीं कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/2017. तथा 09/2016 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 6/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` (-) 1334473/-

   भाग द् वतीय ` 5862365.46
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 4/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम-` 12,06,02,50.00

   (ख) सामग्री क्रय- ` शून्य

   (ग) नगद परिशोधन-` शून्य

   (घ) निक्षेप- ` 14,36,59,906.00

   (ङ) भण्डार- ` 11,31,447.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर 1:- व शष्टियों के अनुरूप मार्ग का निर्माण नहीं कए जाने से अमानक कार्य:- `411.70 लाख

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के वधान सभा क्षेत्र में लंबीधार- कमाड़ी-देहरादून के कमी 12.00 से कमी 24 (कुल लम्बाई 13 कलोमीटर) में बीएम/एसडीबीसी, **crush barrier,** पैरापीट तथा नाली के निर्माण हेतु उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **6697/111 (2)/11-128 (**प्रा0आ0) दिनांक 24.12.2011 के द्वारा `**457.92** लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लए कुल लम्बाई 13 कलोमीटर के लए उतनी ही रा श की प्रा व धकी स्वीकृति 20 जुलाई 2012 को मुख्य अ भयंता (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण वभाग, देहरादून के द्वारा प्रदान की गयी थी। कार्य के प्रशासनिक / वत्तीय स्वीकृति एवं प्रा व धकी स्वीकृति में स्वीकृत लम्बाई 13 कलोमीटर व र्णत थी परंतु प्राक्कलन में वास्त वक लम्बाई 11 कलोमीटर ही थी। प्रश्नगत मार्ग देहरादून के **supply-Depot** से प्रारम्भ होकर कमाड़ी होते हुए मसूरी के नजदीक हाथीपांव को जोड़ता है। यमनोत्री एवं गंगोत्री के यात्री इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इस मार्ग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य पीक-सीज़न में सड़कों पर और यातायात के घनत्व को कम करने के लए वैकल्पिक मार्ग के भांति प्रयोग कया जाना है।

मार्ग के वभागीय प्रतिवेदन के अनुसार मार्ग का निर्माण **IRC-SP-20-2002** के अनुसार कया जाना था। **IRC-SP-20-2002** के अनुसार, यदि मार्ग की **CBR-6, Commercial Vehicle Per Day (CVPD) 45-150** और मार्ग की **design life** पाँच वर्ष है तो मार्ग निर्माण के लए 32.5 **cm crust** (17.5 **cm sub-base course** तथा 15.0**cm base course)** की आवश्यकता होगी जिसमे **binder** एवं **wearing course** शा मल नहीं थी। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लए प्राक्कलन में निम्न ल खत प्रावधान कए गए है।

गैर क्षतिग्रस्त मार्ग में			क्षतिग्रस्त मार्ग में		
क्रम संख्या	मद	मोटाई (सेमी में)	क्रम संख्या	मद	मोटाई (सेमी में)
1	पूर्व औसत उपलब्ध क्रस्ट	20**cm**	1	**G-2**	10 **cm**
			2	**G-3**	08 **cm**
2	बीएम	05**cm**	3	बीएम	05 **cm**
3	एसडीबीसी	2.50**cm**	4	एसडीबीसी	2.50**cm**
	कुल	27.50**cm**	कुल		25.50 **CM**

इस प्रकार, यह पाया गया था क मार्ग के गैर-क्षतिग्रस्त भाग में पूर्व की औसत उपलब्ध क्रस्ट पर ही बीएम/एसडीबीसी का कार्य कराया गया था जब क मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग (3.425 कलोमीटर) में कुल

18**cm (10cm G-2** एवं 08**cm G-3** क्रमशः 3.375 कमी[1] एवं 3.425 कमी[2] लंबाई में**)** मोटाई में ही क्रस्ट के निर्माण का प्राक्कलन में प्रावधान था जो क **IRC-SP-20-2002** एवं प्रतिवेदन में उल्ले खत व शष्टियों की प्रतिकूल थी। पुनः: मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में निर्माण के दौरान क्रस्ट की वास्त वक मोटाई के संबंध में पूछे जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया था क मार्ग पर केवल 15 **cm** (**G-2** एवं **G-3** की मोटाई क्रमशः 7.5**cm** तथा 7.5**cm** थी) में ही **G-2** (1.78 कमी.) एवं **G-3** (4.38 कमी.) का निर्माण कराया गया था। इस प्रकार**,** बीएम/एसडीबीसी को शा मल करते हुए मार्ग के गैर-क्षतिग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त भाग में मार्ग की कुल मोटाई क्रमशः 27.5**cm** तथा 22.5**cm** ही थी जो क **IRC-SP-20-2002** में उल्ले खत व शष्टियों से क्रमशः 5.0**cm** तथा 10**cm** कम थी। पुनः प्रतिवेदन में उल्ले खत व शष्टियों से क्रमशः 3.5**cm** तथा 7.5**cm** कम थी इसके साथ ही, मार्ग निर्माण में ना **IRC-SP-20-2002** और ना ही बीएम/एसडीबीसी से मार्ग निर्माण के लए **IRC-37-2001** का भी अनुकरण नहीं कया गया था जब क यह वदित है क मार्ग के नवनिर्माण के लए वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मार्ग के निर्माण में खंड द्वारा **lacassdical approach** अपनाया गया था क्यों क कुल 11 कलोमीटर में तीन कलोमीटर मार्ग का निर्माण (एक कलोमीटर में कार्य पूर्ण हो चुका है जब क दो कलोमीटर में कार्य प्रगति पर है) पीसी से कया जा रहा है। खंड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार**,** मार्ग निर्माण पर `**411.70** लाख की रा श व्यय हो चुकी थी। इस प्रकार**,** मार्ग निर्माण के लए प्राक्कलन स्तर से ही व शष्टियों का कोई भी स्पष्ट मापदंड तय नहीं कया गया था जिसके कारण मार्ग को कसी भी मानक यथा **IRC-SP-20-2002** या **IRC-37-2001** के अनुरूप मजबूती प्रदान नहीं की जा सकी थी जो इस तथ्य का परिचायक है क मानको का अनुपालन नहीं कए जाने से मार्ग का कार्य मानक पर आधारित नहीं था।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया क मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग (3**.425** कलोमीटर) में जी-2 एवं जी-3 का प्रावधान रखा गया था जब क गैर- क्षतिग्रस्त भाग (9.50 कलोमीटर) में पूर्व नि र्मत क्रस्ट 30 **cm** के सापेक्ष 20**cm** क्रस्ट प्राप्त थी। खंड द्वारा यह भी बतलाया गया क जी-2 (1.78 कमी.) एवं जी-3 (4.38 कमी.) क्रमशः 7.5**cm** एवं 7.5**cm** मोटाई में ही बिछाई गयी थी।

खंड का उत्तर मानक के अनुसार कार्य के संपादन को नहीं कये जाने की ओर प्रमा णत करता है क्यों क खंड द्वारा ना ही प्राक्कलन में उल्ले खत प्रावधान पालन कया गया था और ना ही **IRC-SP-20-2002** के व शष्टियों को। पुनः खंड द्वारा इस आलोक में कोई भी ता र्कक कारण इं गत नहीं कए गए थे। इसके साथ ही, प्रा व धकी टिप्पणी के अनुसार भी मार्ग के **crust** की मोटाई **CBR value** एवं एमएसए

[1] Total quantity of G-2 / (quantity of Breadth x thickness) = 1265M^3 / (3.75M *0.10M) =3375M = 3.375Km
[2] Total quantity of G-3 / (quantity of Breadth x thickness) = 1027.50M^3 / (3.75M *0.080M) =3425M = 3.425Km

के अनुसार रखी जानी चाहिए। वदित है क प्रतिवेदन में भी **crust** की मोटाई 31 **cm** उल्ले खत की गयी है।

अत: ` 411.70 लाख के व्यय जिसमे बिना कसी मानक को अपनाए कार्य का सम्पादन कया गया था का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1: कार्य को देरी से संपादित कए जाने के कारण व्यया धक्य:- `**59.86** लाख का

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के वधान सभा क्षेत्र में लंबीधार- कमाड़ी- देहरादून के कमी 12.00 से कमी 24 (कुल लम्बाई 13 कलोमीटर) में बीएम/एसडीबीसी, **crush barrier,** पैरापीट तथा नाली के निर्माण हेतु उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **6697/111 (2)/11-128 (**प्रा0आ0) दिनांक 24.12.2011 के द्वारा `**457.92** लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लए कुल लम्बाई 13 कलोमीटर के लए उतनी ही रा श की प्रा व धकी स्वीकृति 20 जुलाई 2012 को मुख्य अ भयंता (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण वभाग, देहरादून के द्वारा प्रदान की गयी थी। कार्य के प्रशासनिक / वत्तीय स्वीकृति एवं प्रा व धकी स्वीकृति में स्वीकृत लम्बाई 13 कलोमीटर व र्णत थी परंतु प्राक्कलन में वास्त वक लम्बाई 11 कलोमीटर ही थी। प्रश्नगत मार्ग देहरादून के **supply-Depot** से प्रारम्भ होकर कमाड़ी होते हुए मसूरी के नजदीक हाथीपांव को जोड़ता है। यमनोत्री एवं गंगोत्री के यात्री इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इस मार्ग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य पीक-सीज़न में सड़कों पर जाम और यातायात के घनत्व को कम करने के लए वैकल्पिक मार्ग के भांति प्रयोग कया जाना है।

कार्य को संपादित कए जाने के लए खंड द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए आठ अनुबंध (अनुबं धत रा श `349.77 लाख) के द्वारा `267.61 लाख की रा श का कार्य कराया गया था। खंड द्वारा एक लेखा परीक्षा अवलोकन के उत्तर में बताया गया था क कुल ` 411.70 लाख की रा श व्यय की जा चुकी थी जब क मुख्य अ भयन्ता के वत्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त 66.40 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। बीएम/एसडीबीसी के कार्य के लए गठित अनुबन्ध संख्या 15/**SE-9/2015-16** दिनांक 16 जून 2015 के द्वारा **1470.37M^3** एवं **772.96M^3** क्रमश: बीएम एवं एसडीबीसी का कार्य कराया गया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है क दिसम्बर 2011 में वत्तीय स्वीकृति प्रदान कए जाने के बावजूद प्रा व धकी स्वीकृति **SOR-2012** के दर पर प्रदान की गयी थी (जैसा क एक लेखा परीक्षा अवलोकन से परिल क्षत ज्ञात होता है) परंतु इसके बाद भी इस अनुबंध का गठन **SOR-2014** के आधार पर कया गया था। कार्य सम्पादन में की गयी देरी के संबंध में खंड द्वारा बताया गया क पूर्व में अनुबंध गठित कया गया था परंतु कार्य संपादित नहीं कया जा सका था। बीएम/एसडीबीसी के

कार्य को देरी से संपादित कए जाने के कारण एवं **SOR-2014** के आधार पर अनुबंध गठित कए जाने से दर में वृद् ध के फलस्वरूप बीएम और एसडीबीसी पर **`45.32 lakh** का अ धक व्यय भी करना पड़ा था। जिसका ववरण निम्नवत है।

दरे	**1470.37M^3** बीएम की मात्रा का मूल्य	**772.96M^3** एसडीबीसी की मात्रा का मूल्य
SOR-2014 जिस पर अनुबन्ध कया गया था।	**`10843978.75 @ `7375.00** **`108.44** लाख	**`7822355.20 @ `10120.00** **`78.22** लाख
SOR-2012 जिस पर प्राक्कलन बनाई गयी थी	**`8534498.00@ `5804.32** **`85.34** लाख	**`6000565.77 @ `7763.10** **`60.00** लाख
दरो में अंतर के कारण वृद् ध	**`23.10** लाख	**`22.22** लाख
कुल	**`45.32** लाख	

इसके साथ-साथ, खंड द्वारा अनुबंध संख्या 261/**AE-VI** दिनांक 04.03.2015, 262/**AE-VI** दिनांक 04.03.2015, 263/**AE-VI** दिनांक 04.03.2015 एवं 264/**AE-VI** दिनांक 04.03.2015 भी उपलब्ध कराये गए थे जिसका गठन **SOR-2014** के दर पर कया गया था। इन अनुबन्धो के द्वारा Excavation in founadation for R/W and BW, Cement Plum masonary with 40% plum and 60% 1:3:7 CC, Random Rubble Masonary laid in 1:6 cement, Random Rubble Masonary laid laid dry in B/W, R/W, parapets एवं HP stone filling in back के उप-कार्य कराये गए थे। **SOR-2014** के दर पर अनुबन्धो के गठन करने के कारण `12.13 लाख (ववरण संलग्न) की अ धक रा श व्यय करनी पड़ी थी। पुनः अनुबंध संख्या 215/**EE** दिनांक 27.01.2015 एवं 214/**AE-VI** दिनांक 17.01.2015 WBM- 45mm-63 mm एवं WBM-22.4mm-53mm के कार्य SOR-2012 के आधार पर तैयार की गई प्राक्कलन से इतर बढ़े हुए दर से कराये गए थे जिसके कारण `2.51 लाख अ धक व्यय करने पड़े थे। इस प्रकार कार्य सम्पादन में देरी के कारण के `59.86 लाख का व्याया धक्य (cost escalation) हो गया था।

उपरोक्त तथ्यो को इं गत कए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया था क कार्य के लए अनुबंध का गठन कया गया था परन्तु अनुबं धत ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कया गया जिसके फलस्वरूप कार्य में वलंब हुआ था। परन्तु, व्याया धक्य पर खंड द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया था।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क पूर्व में अनुबं धत ठेकेदार (अनुबंध दिनांक 14.12.12) के बाद 16.06.2015 को अनुबंध गठित कए गए थे। इसके साथ ही, खंड द्वारा ना ही पूर्व में

गठित अनुबंध ही लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए थे और ना ही अनुबंध की वर्तमान स्थिति एवं कारण जिसके वजह से अनुबंध का निष्पादन नहीं हो सका था, से अवगत कराया गया था । पुनः उपरोक्त उल्ले खत अन्य कार्य के लए भी अनुबंध जनवरी एवं मार्च 2015 के मध्य गठित कए गए थे। इस प्रकार, खंड द्वारा उ चत समय प्रबंधन नहीं कए जाने से `58.11लाख का व्याया धक्य (cost escalation) हो गया था।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान लाया जाता है।

Sl. No. of work	Name of sub-work	Details of Bond	Rate (39998 7-1-1) per cum			quantity	Increase in cost (in lakh)
			as per estimate (based on SOR-2012	As per bond	Diff		
A	**Excavation in founadation for R?W and B/W**	261/AE-VI dated 04.03.2015	160	213.6	53.6	88.03	0.05
		262/AE-VI dated 04.03.2015	160	213.6	53.6	95.36	0.05
		263/AE-VI dated 04.03.2015	160	213.6	53.6	78.26	0.04
		264/AE-VI dated 04.03.2015	160	213.6	53.6	121.65	0.07
TOTAL of (A)						**383.3**	**0.21**
B	**Cement Plum masonary with 40% plum and 60% 1:3:7 CC**	261/AE-VI dated 04.03.2015	2646	4176	1530	71.8	1.10
		262/AE-VI dated 04.03.2015	2646	4176	1530	111.37	1.70
		263/AE-VI dated 04.03.2015	2646	4176	1530	74.92	1.15
		264/AE-VI dated 04.03.2015	2646	4176	1530	68.75	1.05
TOTAL of (B)						**326.84**	**5.00**
C	**Random Rubble Masonary laid in 1:6 cement**	261/AE-VI dated 04.03.2015	1938	2751.5	813.5	166.85	1.36
		262/AE-VI dated 04.03.2015	1938	2751.5	813.5	117.24	0.95
		263/AE-VI dated 04.03.2015	1938	2751.5	813.5	173.76	1.41
		264/AE-VI dated 04.03.2015	1938	2751.5	813.5	112.88	0.92
TOTAL of (C)						**570.73**	**4.64**
D	**Random Rubble Masonary laid laid dry in B/W, R/W, parapets**	261/AE-VI dated 04.03.2015	1009.4	1573	563.6	41.45	0.23
		262/AE-VI dated 04.03.2015	1009.4	1573	563.6	87.09	0.49
		263/AE-VI dated 04.03.2015	1009.4	1573	563.6	110.85	0.62
		264/AE-VI dated 04.03.2015	1009.4	1573	563.6	111.01	0.63
TOTAL of (D)						**350.4**	**1.97**
E	**HP stone filling in back ….**	261/AE-VI dated 04.03.2015	340	560.2	220.2	29.54	0.07

Sl. No. of work	Name of sub-work	Details of Bond	Rate (39998 7-1-1) per cum			quantity	Increase in cost (in lakh)
			as per estimate (based on SOR-2012	As per bond	Diff		
		262/AE-VI dated 04.03.2015	340	560.2	220.2	45.98	0.10
		263/AE-VI dated 04.03.2015	340	560.2	220.2	31.62	0.07
		264/AE-VI dated 04.03.2015	340	560.2	220.2	28.3	0.06
TOTAL of (E)						**135.44**	**0.30**
F	**WBM- 45mm-63 mm**	215/EE dated 27.01.2015	959	1188	229	209.03	0.48
		214/AE-VI dated 17.01.2015	959	1100	141	279.09	0.39
TOTAL of (F)						**488.12**	**0.87**
G	**WBM- 22.4mm-53mm**	215/EE dated 27.01.2015	1034	1165	131	999.19	1.31
		214/AE-VI dated 17.01.2015	1034	1150	116	286.13	0.33
TOTAL of (G)						**1285.32**	**1.64**
Grand Total						**3540.15**	**14.64**

भाग दो -ब

प्रस्तर 2 :- **IRC-37-2001** एवं आगणन के प्रावधान के वपरीत बीएम/एसडीबीसी के स्थान पर डीबीएम/बीसी से कार्य कराये जाने के कारण व्याया धक्य :- ` **47.25** लाख।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **47 / III (3) / 14-09** (एस0पी0ए0) / **12** दिनांक **23** जनवरी 2013 के द्वारा जनपद देहरादून के मसूरी क्षेत्र में वशेष आयोजनगत सहायता (एस0पी0ए0) के अंतर्गत कार्ट मैकेंजी मोटर मार्ग लम्बाई (10.35 कमी) के चौडीकरण (1.50 लेन) एवं सुधार कार्य हेतु `**14.15** करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी और वत्तीय वर्ष 2012-13 में ` **2..00** करोड़ की रा श स्वीकृत की गई थी। प्रश्नगत मार्ग चौडीकरण एवं सुधार कार्य के लए प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति व्यय वभाग, वत्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या:- 44(3)उत्तराखण्ड- एस0पी0ए0 / पी0एफ0-1/2011-1113, दिनांक 21.12.2012 एवं मुख्य अ भयन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0 व0, पौड़ी के पत्र संख्या:- 4968/01 एस0पी0ए0-ग0क्षे0/2012 12.12.2012 को संद र्भत करते हुए प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य के लए उतनी ही रा श और उतनी ही लम्बाई के लए मुख्य अ भयन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0 व0, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या:- 336/09/एस0पी0ए0-पर्व0/ 2013 दिनांक 16.02.2013 के द्वारा प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रा व धकी स्वीकृति के अनुसार समस्त कार्य आई0आर0सी0 / लो0नि0 व0/ मोर्थ की वस्तृत व शष्टयों के अनुसार कया जाए तथा 50**mm** मोटाई में बीएम एवं 25**mm** मोटाई में एसडीबीसी का कार्य कराना प्रस्ता वत था। प्रश्नगत मार्ग एकल लेन में 10.35 कमी लम्बी है और इसका प्रारम्भिक भाग देहरादून-मसूरी मोटर मार्ग के कमी-32 से प्रारम्भ होता है और अन्तिम भाग हाथीपांव से जुड़ता है। साथ ही, यह मार्ग कमी-6 में लंबीधार- कवाड़ी-देहरादून (**LKD**) मार्ग से जुड़ता है। यह मार्ग वक सत होने के बाद मसूरी के लए एक अन्य वैकल्पिक मार्ग हो जाएगी जब क लम्बीधार - कमाड़ी - देहरादून मार्ग भी अन्य एक वैकल्पिक मार्ग है जिसे बीएम/एसडीबीसी से सुदृढ़ कया जा रहा है। मार्ग का सीबीआर एवं एमएसए क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 02 था।

मार्ग निर्माण के लए **Two-Bid system** के अन्तर्गत 05 नवम्बर 2012 को आमंत्रित की गयी थी जिसमे टेक्निकल बीड के बाद **financial bid** में **M/s Link Enterprises** (न्यूनतम नि वददाता) को पुनरी क्षत शैड्यूल **-B** के आधार पर `**1280.23** लाख की गयी थी। कार्य के सम्पादन के लए अधीक्षण अ भयन्ता स्तर से अनुबन्ध संख्या :- 13/**SE-9/12-13** के द्वारा `**1280.23** लाख के अनुबन्ध का गठन कया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश: 12.03.2013 एवं 11.03.2015 थी। परन्तु कार्य `**1136.94** लाख की लागत से जुलाई 2016 (**last date of**

Measurement) में पूर्ण हुई थी जब क अन्तिम देयक का भुगतान वाउचर संख्या 128 दिनांक 20.03.2017 के द्वारा हुआ था।

खंड के अ भलेखों के जांच में यह पाया गया था क मार्ग के पूर्ण चौड़ाई में बीएम/एसडीबीसी से **binder course** एवं **wearing course** का कार्य कराया जाना था जिसका उल्लेख प्राक्कलन तथा प्रतिवेदन में था। परन्तु अन्तिम देयक के अनुसार, मार्ग के **binder** एवं **wearing course** का कार्य बीएम/एसडीबीसी के स्थान पर **Dense Graded Bituminous Macadam (DBM)** एवं **Bituminous Concrete (BC)** से **Extra Items** के रूप में कराया गया था जब क प्रा व धकी स्वीकृति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था क समस्त कार्य आई0आर0सी0 / लो0नि0 व0/ मोर्थ की वस्तृत व शष्टयों के अनुसार कया जाए। साथ ही, प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति के प्रावधान तकनीकी दृष्टि को मद्धेनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण वभाग द्वारा प्रच लत दरो/ व शष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को संपादित कया जाना था के वपरीत, मुख्य अ भयन्ता कार्यालय से अनुमोदन के पश्चात, बीएम/एसडीबीसी के स्थान पर परिवर्तन कर **DBM** एवं **BC** से मार्ग के **binder** एवं **wearing course** का कार्य कराया गया था।

पुनः प्रा व धकी स्वीकृति का एक अन्य बिन्दु यह प्रावधान करता है क समस्त कार्य आई0आर0सी0 / लो0नि0 व0/ मोर्थ की वस्तृत व शष्टयों के अनुसार कया जाना चाहिए था। इस आलोक, **MSA-2** एवं सीबीआर-10% के लए, **IRC-37-2001** के यह प्रावधान करता है क **binder** एवं **wearing course** क्रमशः **BM** और **PC** होगी जब **pavement** की **thickness 400 mm** से अ धक होती हो अन्यथा केवल **PC** का ही कार्य कया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है क प्रश्नगत मार्ग की कुल thickness, binder एवं wearing course, को सम्मि लत करते हुए केवल 325**mm (**32.50**cm)** थी। पुनः **LKD** मार्ग जो क मसूरी -देहरादून की एक अन्य वैकल्पिक मार्ग है के **binder** एवं **wearing course** का कार्य भी बीएम/एसडीबीसी से कराया जा रहा है जब क प्रस्नगत मार्ग के **binder** एवं **wearing course** का कार्य **specification** को परिवर्तितित कर डीबीएम/बीसी से कराया गया था।

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है क आगणन एवं IRC-37-2001 के प्रावधान के वपरीत **binder** एवं **wearing course** का कार्य डीबीएम/बीसी से ही कराया गया था जिसके कारण `**47.25** लाख की व्याया धक्य हुई थी जिसका ववरण नीचे सारणीवद्ध है।

Item of work	Quantity in M^3	Rate /M^3	Amount
DBM	3029.03	7180.00	21748435.40
BC	1827.78	8453.00	15450224.34
Total (T-1)			**37198659.74**
BM	3029.03	5926.00	17950031.78
SDBC	1827.78	7946.00	14523539.86
Total (T-2)			**32473571.66**
Difference between T-1 and T-2			4725088.08

उपरोक्त तथ्यो को इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क कार्य क्षेत्र की भौगो लक स्थिति अत्यंत वर्षा क्षेत्र होने एवं भ वष्य में मार्ग के बन जाने के इस मार्ग पर मसूरी के यातायात को **one-way** करने पर यातायात का घनत्व अ धकतम (देहरादून -मसूरी मोटर मार्ग के समान) होने के दृष्टिगत बीएम/एसडीबीसी के स्थान पर डीबीएम/बीसी का कार्य कराया गया था।

खंड का उत्तर प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति के प्रावधान तकनीकी दृष्टि को मद्धेनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण वभाग द्वारा प्रच लत दरो/ व शष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को संपादित कया जाना चाहिए था के ना सर्फ वपरीत है बल्कि **IRC-37-2001** में उल्ले खत प्रावधान के भी प्रतिकूल है और इस लय मान्य नहीं है। पुनः **LKD** मार्ग जो क मसूरी -देहरादून की एक दूसरी वैकल्पिक मार्ग है के **binder** एवं **wearing course** का कार्य बीएम/एसडीबीसी से कराया जा रहा है जब क प्रश्नगत मार्ग के **binder** एवं **wearing course** का कार्य **specification** को परिवर्तितित कर डीबीएम/बीसी से कराया गया था।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-**1** उपखनिजो पर 4.92 लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 तथा 842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक-26.02.2016 से 18.05.2016 तक 194.50 दिनांक-19.05.2016 से 27.10.2016 तक 154.00, व दिनांक-10.10.2016 से आति थ तक 154.00 प्रति घन मीटर संशो धत /वृद् ध कया गया था।उक्त के परिप्रेक्ष में अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण वभाग,देहरादून कार्यालय के संबं धत अ भलेखों,माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया क उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण माह 03/2017 में रुपए 4,92,467/- कम की राजस्व वसूली की गई थी(ववरण संलग्न है)

उक्त को इं गत करने पर खण्ड ने उत्तर में उल्लि खत कया क रॉयल्टी की बढ़ी दरें वलंब से संज्ञान में आई जिस कारण कम कटौती की गई। इस कारण से देयकों से रायल्टी की कटौती पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार की गयी थी। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क रायल्टी की कटौती भुगतान की जाने वाली ति थ को लागू रायल्टी की दर से की जानी चाहिये थी, परन्तु खण्ड द्वारा ऐसा नहीं करते हुये रायल्टी की कम वसूली की गयी। अतः 4,92,467 रायल्टी की कम वसूली कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **2-** संख्या- वत्तीय नियमो का पालन न कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका (यूपी) के वॉल्यूम-6 के भाग -1 के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मेनुयल के प्रस्तर 81 व 82(iii) के अनुसार वभागीय अ धकारियो का यह दायित्व है क खण्ड को प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियों को सही प्रकार प्राप्त कर बिना देरी के उनको सही शीर्ष में सही प्रकार से क्रे डट कया जा रहा है अथवा नहीं एवं राजस्व प्राप्तियों को शासन की स्वीकृति के बिना वभागीय प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये।

अ धशासी अ भयन्ता प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग देहारादून की रोकड़ बही की नमूना जांच माह 03/2017 मे पाया गया क खंड द्वारा रोड कटिंग चार्ज की धनरा श को राजस्व शीर्ष 0059 Public works में जमा कर उस धनरा श से कार्यालय के व भन्न कर्मचारियों/अ धकारियों के पक्ष में व भन्न TI/PI के खोलकर कार्यालय की व भन्न मदों पर व्यय की गई धनरा श को समायोजित कर भारित कया जा रहा है एवं माह मार्च 2017 में रुपए 5,11,040 का समायोजन कया गया है।(ववरण संलग्न है)

लेखा परीक्षा द्वारा इस और इं गत कराये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क अन्य व वध कार्यों पर व्यय नहीं कया जा रहा है। उन्ही कार्यों के restoration पर व्यय की जा रही है।

खण्ड का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यों क प्राप्त धनरा श को न तो राजस्व शीर्ष में जमा कराया गया था न ही restoration पर व्यय कया गया था अतः वत्तीय नियमो के पालन न कए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

रोड कटिंग चार्ज पर भारित **PI/TI** का ववरण

क्रम संख्या	दिनांक	वाउचर नंबर	धनरा श
1	03-03-2017	3	24280
2	21-03-2017	117	24968
3	21-03-2017	156	24509
4	21-03-2017	157	13596
5	22-03-2017	192	24390
6	24-03-2017	323	24682
7	24-03-2017	325	24611
8	25-03-2017	347	24977
9	25-03-2017	348	22000
10	25-03-2017	349	21861
11	25-03-2017	350	24821
12	28-03-2017	352	7608
13	28-03-2017	353	24952
14	31-03-2017	361	10357
15	31-03-2017	362	21435
16	31-03-2017	363	21256
17	31-03-2017	364	24951
18	31-03-2017	369	24924
19	31-03-2017	372	23337
20	31-03-2017	373	24896
21	31-03-2017	376	23558
22	31-03-2017	377	24079
23	31-03-2017	379	24992
			511040

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
44/2002-03	1,6	3,4,6,7,8,9,10
24/2003-04	1,2	2,3,4,5,6
35/2004-05	1	1,2
73/2005-06	-	1
41/2006-07	1,2	1
43/2007-08	1,2	1
01/2009-10	1,2,3	1
41/2010-11	1,2,3	-
47/2011-12	1	1
51/2012-13	1	1,2
55/2013-14	1,2	1,2
21/2014-15	1	2,3,4,5
42/2015-16	1	1,2,3,4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		उत्तरालेख तैयार कया जा रहा है शीघ्र प्रे षत कर दिया जाएगा	उत्तरालेख प्राप्तहोने पर कार्यवाही की जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण वभाग,देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	इं. देवेन्द्र शाह,	अ धशासी अ भयन्ता
(ii)	इं. ए.एस. भण्डारी	अ धशासी अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री पुष्कर संह राणा खण्डीय लेखा धकारी

(ii) श्री राकेश रस्तोगी खण्डीय लेखा धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता,प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण वभाग,देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II